<u>सूचना</u>

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल रिट पिटीशन सं. 5027–5029/12 में निर्णय दिनांक 20.09.2017 की अनुपालना में एकबारगी अवसर प्रदान करते हुए सर्वसंबंधित कोर्स कम्पलीटेड एक्ट अप्रेन्टिसों जिन्हें टर्मिनेट किया जा चुका है तथा 14 अन्य वादी कुल 315 या ऐसे सभी कोर्स कम्पलीटेड एक्ट अप्रेन्टिस (जिन्हे रेलवे या रेलवे से अतर किसी अन्य स्थापना द्वारा प्रशिक्षित किया गया हो) को आयु सीमा पर ध्यान न देते हुए प्रोविजनल तौर पर रेलवे रोजगार अधिसूचना सं. सीईएन 2/2018 में ऑन लाईन आवेदन की अनुमति प्रदान की जाती है ऐसे सभी उम्मीदवारों को ई–कॉल लेटर जारी किये जायेगे तथा ऐसे सभी मामलों में पात्रता का निर्धारण अंतिम रूप से दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

ऐसे सभी अभ्यर्थियो के लिए ऑन लाईन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 19.03.2018 से शुरू हो जायेगी, जिसमें अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन कर सकते है, इन्हें सहायता प्रदान करने के लिए सभी मंडलों/यूनिटों, आरआरबी–अजमेर तथा आरआरसी–जयपुर में सुविधा केन्द्र स्थापित किये गये है। टर्मिनेटेड एक्ट अप्रेन्टिसों को यह हिदायत दी जाती है कि वे ऑन लाईन आवेदन में अपना विवरण उनकी सेवा पंजिका के अनुसार ही भरे।

आज्ञा से